भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या 2328

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन

2328. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

डॉ. मन्ना लाल रावत:

श्री जसवंत संह सुमनभाई भाभोर:

श्री वश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री बसवराज बोम्मई:

श्री प्रवीण पटेल:

श्री मुकेश राजपूत:

श्री मनोज तिवारी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उदयपुर, राजस्थान में दूसरा अ खल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन आयोजित कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित उक्त सम्मेलन में कस प्रकार से राज्य-व शष्ट जल चुनौतियों का समाधान कया तथा इसके कार्यान्वयन के लए क्या कार्य-नीतियां प्रस्ता वत की गई हैं;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में जल प्रशासन और दक्षता में सुधार के लए डेटा, प्रौद्यौ गकी और नवाचार की भू मका पर चर्चा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कन व शष्ट तकनीकी हस्तक्षेपों पर वचार- वमर्श कया गया है;

(घ) क्या 'जल संचय जन भागीदारी' पहल जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को बढ़ावा देती है और यदि हां, ते तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राष्ट्रव्यापी वस्तार के लए क्या उपाय कए जाएंगे; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा नदी-जोड़ों परियोजनाओ में तेजी लाने के लए कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों के बीच आम सहमति कस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): दिनांक 18-19 फरवरी, 2025 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उदयपुर में "इं डया@2047-एक जल सुर क्षत राष्ट्र" वषय पर द् वतीय राज्य मंत्री जल सम्मेलन 2025

आयोजित कया गया था। माननीय जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा इस सम्मेलन का उदघाटन कया गया था। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ओ ड़शा और त्रिपुरा, सहित उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की गरिमामय उपस्थिति भी थी। इस सम्मेलन में 33 माननीय मंत्रियों और केंद्र/राज्य सरकारों, बहुप क्षय/द् वपक्षीय संगठनों आदि के 300 से अ धक प्रतिनि ध ने भाग लया। इस वचार- वमर्श के दौरान देश में अंतर-राज्य सहयोग को मजबूत करने और मुख्य जल संरक्षण पहल को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2047 तक भारत की जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रीत कया गया। इस सम्मेलन को छः वषयगत सत्र में आयोजित कया गया अर्थात् 1. जल शासन का सुदृढ़ीकरण करना, 2. जल भंडारण अवसंरचनाएं और आपूर्ति संवर्धन, 3. पेयजल पर फोकस करते हुए जल डी लवरी सेवा, 4. संचाई और अन्य उपयोगों पर फोकस करते हुए जल डी लवरी सेवा, 5. मांग प्रबंधन और जल उपयोग दक्षता, 6. एकीकृत नदी और तटीय प्रबंधन।

द् वतीय राज्य मंत्री जल सम्मेलन 2025 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित था, इसे राज्य- व शष्ट जल चुनौतियों का समाधान करने के लए प्रमुखता प्रदान की गई है। यह सम्मेलन यह रेखां कत करता है क जल का प्रबंधन अलग-थलग रूप से नहीं कया जा सकता और व भन्न स्तरों पर एक समन्वित शासन की इसमें अहम भू मका है। प्रभावी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लए एक बहु-स्तरीय शासन अपे क्षत है, जो बे सन और उप-बे सन स्तरों से लेकर राज्य, जिला और नगरपा लका स्तरों तक हो। इस चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया क एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में व भन्न जल स्रोतों को शा मल कया जाना चाहिए, जिसमें वर्षा, सतही जल, भूजल और उपचारित जल शा मल हो और हैं, जिससे एक समग्र और सतत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। इस सम्मेलन द्वारा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लए, एक वकेंद्रीकृत शासन संरचना प्रस्ता वत की गई है जो व भन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय बढ़ाएगी।

(ग): द् वतीय राज्य मंत्री जल सम्मेलन 2025 में जल शासन और दक्षता में डेटा, प्रौद्यो गकी और नवाचार की भू मका पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्य कार्यकलापों में जल जीवन मशन के तहत रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लए इंटरनेट ऑफ थंग्स आधारित स्मार्ट जल मीटर, भूजल प्रबंधन के लए हाइड्रोजियोलॉजिकल मान चत्र और जल क्षति और रिसाव को ट्रैक करने के लए आर्टि फ शयल इंटे लजेंस आधारित सस्टम शा मल थे।

इस सम्मेलन के दौरान जल शासन और कार्य-निष्पादकता में कई नवाचारों पर चर्चा की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्वचालन प्रौद्यो ग कयों का उपयोग शा मल है। शहरी जल शासन में, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन के लए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अ धग्रहण प्रणाली लागू की गई हैं, जो जल सं वतरण, लक डटेकशन और

सीवेज उपचार कार्य निष्पादकता की निरंतर निगरानी को सक्षम बनाती हैं। नवी मुंबई नगर निगम ने अपने अनुक्र मक बैच रिएक्टर -आधारित सीवेज उपचार में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अ धग्रहण प्रणाली को एकीकृत कया है, जो पर्यावरण मानकों के साथ रियल टाइम में अनुपालन सुनिश्चित करता है और उपचारित अप शष्ट जल के कुशल पुन:उपयोग को भी सक्षम बनाता है और इसमें होल्डिंग पॉण्ड का भी उपयोग कया जाता है, जो सामान्य परिस्थितियों में रिटेंशन बे सन और उच्च ज्वार के दौरान भंडारण के रूप में कार्य करते हैं ता क जलभराव को रोका जा सके, जो इसकी एकीकृत जल निकासी प्रणाली का हिस्सा होती है, जिसमें अलग-अलग तूफानी और अप शष्ट जल का निपटान भी शा मल है। भूजल प्रबंधन के लए, वैज्ञानिक जल संसाधन योजना के लए नवाचार के रूप में हाइड्रोलॉजिकल मान चत्रों के उपयोग पर चर्चा की गई। वर्ष 2014 में त मलनाडु द्वारा भूजल के संबंध में भावी मान चत्र वक सत कए गए हैं, जिससे अ धकारियों को भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान करने और बोरवेल, इन फलट्रेशन कुएं और खुले कुएं जैसे उपयुक्त कार्यकलापों को डजाइन करने में मदद मलेगी। कृ ष में, ड्रप और स्प्रिंकलर सस्टम जैसी सटीक संचाई तकनीकों, सहित स्वचा लत जल प्रबंधन के लए एआई और आईओटी-सक्षम स्मार्ट संचाई पर भी जोर दिया गया।

(घ): माननीय प्रधानमंत्री के वर्चुअल उपस्थिति में जल संचय जन भागीदारी पहल 6 सतंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में जल शक्ति अ भयान: कैच द रेन अ भयान के तहत शुरू की गई। जल संचय जन भागीदारी पहल कफायती कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के वनिर्माण के लए स क्रय सामुदायिक कार्रवाई के लए एक नवोन्मेषी पहल के रूप में उभरी है, जिसमें छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं, निष्क्रिय बोरवेलों और नवोन्मेषी वत्तीय मॉडलों जैसे परोपकारी योगदान, औद्यो गक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सामुदायिक साझेदारी मॉडलों और जल संरक्षण के लए लागत प्रभावी स्थानीय समाधान खोजने के माध्यम से पुनर्भरण गड्ढों पर ध्यान केंद्रित कया गया है। जल संचय जन भागीदारी सूक्ष्म स्तर पर घटते भूजल स्तरों के निपटान के लए एक स्केलेबल, सतत दृष्टिकोण प्रदान करता है। कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं और उन्नत निगरानी प्रणा लयों के साथ, जल संचय जन भागीदारी में भूजल पुनर्भरण में योगदान देने के साथ-साथ जिम्मेदारी के साथ जल के दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। जल संचय जन भागीदारी द्वारा शहरी और ग्रामीण भारत में एक म लयन कफायती पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है, जिसमें वैज्ञानिक प्रौद्यो गकी और पारंपरिक व धयों का संयोजन कया जाएगा।

जल संचय जन भागीदारी पहल का मुख्य उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हर एक बूंद पानी संर क्षत करना है, जिसमें समाज और सरकार दोनों को साथ लेकर चलाया गया है। समुदाय स्वा मत्व को बढ़ावा देते हुए, इस पहल के द्वारा व भन्न क्षेत्रों में जल चुनौतियों के

लए लागत-कुशल, स्थानीय समाधान का प्रयास कया गया है, जिसका लक्ष्य भूजल स्तर को बढ़ाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना और जल गुणवत्ता में सुधार करना है। संसाधनों युक्त लोगों को अपने राज्यों और गांवों में पुनर्भरण संरचनाएं बनाने के लए प्रोत्साहित कया जाता है। दिनांक 31 मई, 2025 तक जल संचय - जन भागीदारी के माध्यम से 1 म लयन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं बनाये जाने की आशा है, जिसमें सरकार और निजी पहल दोनों का उपयोग शा मल है।

सरकार द्वारा केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडबल्यूबी) के सहयोग से जेएसजेबी पहल के वस्तार को राष्ट्रीय स्तर पर सुलभ बनाने के लए व शष्ट कदम उठाए गए हैं और उसके कार्यान्वयन हेतु दिनांक 07.10.2024 को जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों और नगर निगमों के लए एक एडवाईजरी जारी की गई है। मंत्रालय द्वारा एक जल संचय डैशबोर्ड वक सत कया गया है ता क पारद र्शता और गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित कया जा सके, यह जीआईएस समन्वय, फोटोग्राफों और वत्तीय ववरणों के उपयोग के साथ पुनर्भरण संरचनाओं को ट्रैक करने के लए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें दिनांक 10.03.2025 तक, जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत 7.33 लाख पुनर्भरण संरचनाएं शा मल की गई हैं। इसके अलावा, 1% पुनर्भरण संरचनाओं की गुणवत्ता आश्वासन हेतु उनकी जांच की जाती है। केन्द्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण और उनके नवीनीकरण के लए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है ता क भूजल संवर्धन प्रयासों में सुधार कया जा सके।

केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी अ धकारियों को प्रत्येक जिले और नगर पा लका के मार्गदर्शन और राज्यों, मंत्रालयों, उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को इसके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लए नियुक्त कया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल मशन (एनडबल्यूएम) के सहयोग से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) और तकनीकी सलाहकार दस्तावेज तैयार कए गए हैं और सभी स्तरों पर हितधारकों की सहायता के लए जेएसए: सीटीआर पोर्टल के माध्यम से व्यापक रूप से वतरित कए गए हैं। जमीनी स्तर पर जन जागरूकता लाने के लए सूचना, शक्षा और संचार (आईईसी) गति व धयाँ भी इसमें समाहित की गई हैं।

(ङ): भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी और राष्ट्रीय जल वकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के तहत नदियों के इंटर लं कंग (आईएलआर) का कार्य सौंपा गया। एनपीपी के तहत, 30 लंक परियोजनाओं को चन्हित कया गया है जिनमें से 16 लंक परियोजनाएं प्रायद्वीपीय घटक के तहत और 14 लंक परियोजनाएं हिमालयी घटक के तहत हैं। 11 लंक परियोजनाओं की वस्तृत परियोजना

रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) का कार्य पूरा कया जा चुका है।

सरकार द्वारा आईएलआर कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथ मकता दी गई है। भारत सरकार संबं धत राज्यों के बीच सहमति बनाने के लए समन्वित प्रयास कर रही है ता क इन लंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) संबंधी कार्यक्रम को पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाकर परामर्शात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है ता क परिपक्व लंक परियोजनाओं को कार्यान्वित कया जा सके। सरकार द्वारा संबं धत राज्यों को इसमें शा मल करने के लए जोरदार प्रयास कए जा रहे हैं। एनडबल्यूडीए द्वारा तैयार की गई सभी अध्ययन रिपोर्टें (पीएफ़आर, एफ़आर और डीपीआर) संबं धत राज्य सरकारों को उनके वचारों/टिप्प णयों के लए परिचा लत की जाती हैं। राज्यों से प्राप्त टिप्प णयों को इन रिपोर्टों में समु चत रूप से शा मल कया जाता है।

राज्य सरकार के अ धकारियों को सभी महत्वपूर्ण बैठकों में आमंत्रित कया जाता है जैसे क माननीय मंत्री (जल शक्ति) की अध्यक्षता में एनडबल्यूडीए संस्था की वा र्षक आम बैठकें, स चव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एनडबल्यूडीए की गवर्निंग बॉडी की बैठकें, नदियों को आपस में जोड़ने के लए वशेष स मति (एससीआईएलआर) की बैठकें और नदियों को आपस में जोड़ने के लए कार्य बल (टीएफआईएलआर) की बैठकें ता क इन लंक परियोजनाओं से संबं धत वचार- वमर्श में स क्रय रूप से भाग ले सकें। इसके अलावा, संबं धत राज्यों के साथ परामर्शी बैठकें आयोजित की जाती हैं ता क उनकी राय/मुद्दों पर चर्चा की जा सके। उनके मुद्दों पर इन सभी बैठकों में चर्चा की जाती है ता क लंक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लए उपयुक्त समाधान हा सल कया जा सके।

*****